फर्द अहकाम

(नियम 26)

ज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम अजमेर

श्री बाया ..... बनाम पानी व अन्य .....

केस्म मुकदमा 212 रा.का.का,नम्बर 65 / 2010.....सन .....

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही श्री श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
10.01.2020	पत्रावली पेश हुई। वकिल उभय पक्ष उपस्थित । अप्रार्थी अभिभाषक द्वारा पत्रावली पर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुति कि दिनांक 5.7.2010 के पश्चात न्यायालय आदेशिका दिनांक 2.8.1014.10.10, 21.11.13, 28.4.17, की पालना में आज दिवस तक अपार्थी संख्या 1 से 9, 11 से 15, 19 की तलबी हेतु नोटिस तलबाना पेश नही किए गए है। जिस हेतु प्रार्थी द्वारा आदेशिका दिनांक 29.3.2019, 14.6.2019, 21.6.2019, 27.9.2019 को अन्तिम अवसर दिये जाने पर भी नोटिस तलबाना प्रस्तुत नही किए गए । दिनांक 5.7.2010 के पश्चात लगभग नौ वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने तथा कई अवसर प्राप्त किए जाने के उपरान्त भी न्यायालय आदेश दिनांक 29.3.2019, 14.6.2019, 21.6.2019, 27.9.2019 की पालना नही कि गई है। इसके बावजूद भी प्रार्थी द्वारा आज दिवस तक न्यायालय आदेश की पालना नही की गई है जिसे न्यायालय आदेशो की अदम पालना में निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया । हमने पत्रावली का अवलोकन किया जिससे अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों की पुष्टि होकर न्यायालय आदेश दिनांक 8.1014.10.10, 21.11.13, 28.4.17, 29.3.2019, 14.6.2019, 21.6.2019, की प्रभावी आदेशिका दिनांक 27.9.19 के बावजूद गई अवसर प्राप्त किए जाने एवं नौ वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी पालना नही की गई है। जिससे प्रार्थी एवं उनके अधिवक्ता की उक्त प्रार्थना पत्र को चलाए जाने में ना तो किसी प्रकार की कोई रूचि प्रकृट होना प्रतीत होती है इस प्रकार कानूनी प्रावधानो के तहत उभय पक्षकार अपने हक अधिकारो के प्रति सजग नही रहता है उसकी न्यायालय की किसी प्रकार से कोई सहायता प्रदान नही कर सकता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायालय आदेशो की अदम पालना में निरस्त कर खारिज किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो । उपखण्ड अधिकारी अजमेर	

Scanned by CamScanner